

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सिवान के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए) एवं 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० नीरज महतो, 24, हरिकिशोर महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	हरिकिशोर महतो, (पिता)	491, 18.04. 2026	ग्रा०-मोरा खास, पो०-मोरा, थाना+प्रखण्ड-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान 7044785154	100630 101000 4652	UBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, लादने एवं उतारने का कार्य
02	स्व० मोखतार हुसैन, 44, मो० हाकिम मियां, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बेवी खातुन, (पत्नी)	493, 18.04. 2026	ग्रा०+पो०-कौड़िया, थाना+प्रखण्ड-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान 9939164589	100665 103001 8242	UBGB, PUNB0 MBGB 06	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
03	स्व० संजीत कुमार गुप्ता, 29, जयप्रकाश गुप्ता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रिंजू कुमारी, (पत्नी)	495, 18.04. 2026	ग्रा०-पड़रिया, पो०-सरसर, थाना-सिवान मु०, प्रखण्ड-सिवान सदर, जिला-सिवान 8539904384	445010 110021 277	BOI, BKID0 004450	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
04	स्व० जयप्रकाश साह, 43, बलिराम साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सुनिता देवी, (पत्नी)	496, 18.04. 2026	ग्रा०+पो०-नवतन, थाना+प्रखण्ड-नवतन, जिला-सिवान 7488757987	010010 533486	IPPB, IPOS00 00001	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दुकान में मिठाई विक्रेता का कार्य
05	स्व० गुड्डी देवी, 53, अक्षयबर पाण्डेय, सामान्य वर्ग	अक्षयबर पाण्डेय, (पति)	498, 18.04. 2026	ग्रा०-फाजिलपुर, पो०-कन्धापाखी, थाना-असाव, प्रखण्ड-आंदर, जिला-सिवान 7739997939	322525 61007	SBI, SBIN0 006673	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
06	स्व० रमेश कुमार राजभर, 28, रामाधार राजभर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनरावती देवी, (पत्नी)	499, 18.04. 2026	ग्रा०-सदलपुर, पो०-शिवपुर सकरा, थाना-असौव, प्रखण्ड-आंदर, जिला-सिवान 8797170358	101400 170421 5813	PNB, PUNB0 101400	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

07	स्व० शिवकुमारी देवी, 53, स्व० श्रीराम पंडित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनिल कुमार पंडित, (पुत्र) 23 वर्ष	500, 18.04. 2026	ग्रा०-अर्कपुर, पो०-शिवपुर सकरा, थाना-असांव, प्रखण्ड-आंदर जिला-सिवान 7654808316	101400 150409 1622	PNB, PUNB0 101400	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कुम्हारगिरी का कार्य
08	स्व० शारदा साह, 51, नंदजी साह, पिछड़ा वर्ग	किरण देवी, (पत्नी)	501, 18.04. 2026	ग्रा०+पो०-निर्योय, थाना+प्रखण्ड-आंदर, जिला-सिवान 8638984919	403591 55992	SBI, SBIN0 012561	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पेंटर का कार्य
09	स्व० राजकुमार यादव, 62, सिपाही यादव, पिछड़ा वर्ग	मालती देवी, (पत्नी)	514, 27.04. 2026	ग्रा०-चितौर, पो०-जयजोर, थाना+प्रखण्ड-आंदर, जिला-सिवान 8002807617	358898 5633	CBI, CBIN0 281527	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ऑटो रिक्शा चालक का कार्य

कुल :- रु० 7,50,000/-

(सात लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-47/2026-1116

पटना, दिनांक :- 21/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, सारण, छपरा/श्रम अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/08/2026
(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक